संक्षिप्त

जिलाध्यक्ष ने लिया आचार्य सागर का आशीर्वाद

टोंक। मुख्यालय स्थित जैन नसियां में चातुर्मास कर रहे वात्सल्य वारिधि आचार्य वर्धमान सागर का भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने आशीर्वाद प्राप्त कर जिलेवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चौहान ने कहा कि चातुर्मास में संतों का सानिध्य हमें धर्म, मानव सेवा व विश्व कल्याण की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है, यह अवसर आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि व सत्संग का अनुपम संगम होता है। इस अवसर पर जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, जिला महामंत्री प्रभु बाड़ोलिया, विष्णु शर्मा, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, बबलू टैंकर, जिला मंत्री बीना छामुनिया, कार्यालय मंत्री ओमप्रकाश पाण्डे, चरण सिंह चौधरी, मनीष सिसोदिया, पंकज पहाड़िया, विनायक जैन सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर सांसद ने चिन्ता जताई

टोंक। लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र में लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान टोंक-सवाई माधोपुर सांसद हरीश चन्द्र मीना ने जिले सहित देश एवं प्रदेश में युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन के बढ़ते प्रचलन पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

खोया पाया

मेरे RHB प्लॉट संख्या 65/28 प्रताप नगर सांगानेर का अदेय प्रमाण पत्र (नो-ड्यूज) कागज कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। कुंज बिहारी बंसल-9413236726

मेरे प्लॉट नम्बर ई-67, अम्बाबाडी जयपुर के समस्त मूल असल दस्तावेज कहीं गुम हो गये है मिलने पर सूचित करें- Sushila Tiwari W/o Ajay Kumar Tiwari मो. 9314801558

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम रूपबाई केदार लाल मीना से बदलकर रूपबाई मीना पत्नी श्री केदार लाल मीना रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी ए-37 शंकर विहार मालवीय नगर जयपुर-302017

मैंने अपना नाम सपना केदारलाल कांवत से बदलकर सपना कावंत पुत्री श्री केदार लाल मीना रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी ए-37, शंकर विहार मालवीय नगर जयपुर-302017

मैंने अपने पुत्र का नाम वंश प्रताप सिंह से बदलकर वंशप्रताप सिंह राठौड पुत्र श्री वीर विक्रम सिंह, रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना जावें। निवासी 48, बाल समंद मण्डोर रोड, जोधपुर

मैंने अपना नाम राघव अग्रवाल (Raghav Agrawal) से बदलकर राघव अग्रवाल (Raghav Agarwal) पुत्र श्री राघव अग्रवाल रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। निवासी प्लाट नं. 50 सेक्टर 6, विद्याधर नगर, जयपुर

I IC/army/navy no 127758K Rank Ex POUWI Mohan Lal S/o Mangal chand Resident of bahuji ki dhani khandela sikar that i have changed my son & daughter name which is wrongly entered my service record From RAVINDRA KUMAR TO RAVINDRA KUMAR JANGU & TAMANNA TO TAMANNA KUMARI JANGU vide affidavit dated 29 July 2025 before district sub division magistrate khandela Sikar.

I army no. JC 171047K Ex NB SUB Heer singh S/o Sh. Chander Singh Resident of 120 Laxmi Nagar harnathpura kalwar road jhotwara jaipur that i want change my spouse name which is wrongly entered in my service record from SUBYAR KANWAR TO SUPYAR KANWAR vide affidavit dated 28 July 2025 before district sub division majistrate Jaipur city.

I have changed My Name From Rupali Sharma to Roopali Sharma D/o Amit Sharma. She should be known by this name in future. B-388 Mahesh Nagar, Tonk Phatak, Jaipur-302015

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जनकल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची : कन्हैयालाल चौधरी

टोंक। मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह को संबोधित करते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की

- **जिला स्तरीय संपूर्णता सम्मान समारोह संपन्न**

शुरुआत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में की थी। इससे आकांक्षी ब्लॉकों के चहुंमुखी विकास को गति देने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस दौरान उन्होंने जिले के आकांक्षी ब्लॉक पीपलू में महिला एवं बाल विकास में गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं कृषि विभाग के मृदा स्वास्थ्य कार्ड के निर्धारित पैरामीटर को नियत समय पर शत प्रतिशत प्राप्त करने पर अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के पिछड़े जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किये है। इसी वर्ष गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले से एक ब्लॉक का चयन किया गया है। जिले से ब्लॉक उनियारा का चयन किया गया है, इससे क्षेत्र के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों में विकास को गति मिल सकेगी।

टोंक मुख्यालय स्थित कृषि ऑडिटोरियम में संपूर्णता अभियान समारोह जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की मौजूदगी में हुआ।

भरतपुर में विद्युत निगम ने 7 गांवों में 77 परिवारों पर 32.5 लाख का लगाया जुर्माना

भरतपुर (निस)। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने विद्युत चोरी में लिप्त गांव राइसीस, कवई, करही, हंतरा, अरोदा, झारखंई, ककरारा में 77 लोगों को चोरी करते हुए पाया गया एवं सतर्कता कार्यावाही करते हुये 32 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।

अधीक्षण अभियंता रामहेत

- **तड़के गांवों में दबिश दी गई, विभाग की लगभग 16 गाड़ियों में अधिकारियों ने कार्यवाही को अंजाम दिया**

मीणा ने बताया कि डिस्कॉम द्वारा भारी पुलिस जाब्ता के साथ तड़के इन गांवों में दबिश दी गई, विभाग की लगभग 16 गाड़ियों में अधिकारियो ने कार्यवाही को अंजाम दिया। उच्च अधिकारीयों के निर्देशों की पालना में ऐसे गांव को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है जहाँ पर अधिक विद्युत छीजत है। उन्होंने बताया कि लोगो ने टीमों को देखकर खुद ही अनाधिकृत जम्पर उतारने लगे। निगम कर्मचारियों द्वारा भारी मात्रा में अवैध केबल जब्त की गई और बिजली चोरों पर कार्यवाही की गई।

77 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पाये जाने पर सतर्कता विभाग ने कार्यावाही करते हुये 32 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

समाजसेवी रामकरण राठी के जन्मदिवस पर आज रक्तदान शिविर

पावटा। समाजसेवी रामकरण राठी के 36वें जन्मदिवस के अवसर पर आज भगत सिंह ग्रुप पावटा के नेतृत्व व सत्यम ब्लड बैंक जयपुर की टीम के सहयोग से अपने जन्मदिवस के अवसर पर मुछारा मार्किट केनरा बैंक के पास भांकरी रोड पावटा में सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर व पावटा, बड़नगर गौ शाला में गौ सेवा कार्य एवं बाबा भूतनाथ जोहड़ा धाम पावटा बाबा भोले के दर्शन एवं पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान समाजसेवी रामकरण राठी ने आमजन सहित युवाओं से रक्तदान शिविर में रक्त का दान करने की अपील करते हुए कहा कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा

- **गौ सेवा व पौधारोपण सहित विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन होगा**

इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही आपातकालीन स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरुरतमंद की मदद हो सकेगी, किसी के जीवन को बचाने के लिये रक्तदान करना सबसे महत्वपूर्ण दान है। जो लोग रक्तदान करने में सक्षम हैं और स्वस्थ हैं उन्हें रक्तदान अवश्य करना चाहिए।

अलवर भ्रमण यात्रा में दिखा एकता और उत्साह

भरतपुर (निस)। परचून एवं किराना संघ भरतपुर द्वारा आयोजित व्यापारिक गोठ का आयोजन संस्था संरक्षक राकेश गर्ग सामरे वालों के सानिध्य में किया गया संस्था के मार्गदर्शक सीताराम अठावाल दाल वालों ने बताया परचून एवं किराना संघ के सदस्य दो एसी बस अलवर स्थित भरतरी नाथ जी ,पांडुपोल के भ्रमण यात्रा के लिए 28 तारीख को रात्रि 11:30 बजे भरतपुर कुम्हेर गेट स्थित बाबा जाहरवीर मंदिर से अलवर के लिए रवाना हुई जो की सुबह 4:30 बजे भरतरी नाथ पहुंची उसके बाद सदस्यों ने कुछ घंटे आराम के बाद सुबह का नाश्ता कर सभी व्यापारी बस से प्रस्थान कर पांडुपोल के दर्शन व पानी के झरने का का लगभग 3 घंटे आनंद लिया उसके बाद सभी सदस्य पांडुपोल से प्रस्थान कर वापस भरतरी नाथ पधारे

- **परचून एवं किराना संघ भरतपुर द्वारा व्यापारिक गोठ का आयोजन**

भरतरी नाथ में सभी सदस्यों ने दोपहर का भोज जिसमें खीर, पुआ, सब्जी, कचौड़ी , नींबू शिकंजी, ठंडाई ,का भरपूर भोजन का आनंद लिया उसके बाद सभी सदस्यों को कार्यवाहक कार्यकारिणी की तरफ से उपहार वितरण किया गया इसी के साथ कार्यवाहक अध्यक्ष संतोष खंडेलवाल, कार्यवाहक मंत्री अनिल गर्ग तेहरा ने गोठ में पधारे सभी व्यापारियों व सप्तऋषि कंपनी की तरफ से मसाले, मनीष नमकीन की तरफ से नमकीन, ओसवाल ग्रुप की तरफ से पानी की बॉटल उपलब्ध कराई गई।

कोटपूतली जल भराव वाले स्थानों पर ट्रैक्टर पंप सेट लगाकर जल निकासी

कोटपूतली। लगातार हो रही वर्षा के कारण फल मंडी, सराय मोहल्ला एवं अन्य जल भराव वाले स्थानों पर ट्रैक्टर पंप सेट लगाकर जल निकासी का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है, नगर पालिका के पास वृक्ष के गिरने की सूचना मिलने पर नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से पेड़ को हटवाया एवं बाधित आवागमन सुचारू करवाया। नगर परिषद की टीम क्षेत्र में एक्टिव होकर कार्यरत है। दिल्ली दरवाजा के पास वर्षा के कारण मकान क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर एसडीएम बृजेश चौधरी, डीएसपी राजेन्द्र बुरड़क, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट नगर परिषद टीम व सिविल डिफेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे एवं आस पास के क्षेत्र को फ्रीज कर आमजन व वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। टीम ने मौके पर क्षतिग्रस्त मकान के टीन, कंक्रीट को एक तरफ कर व्यवस्थाएं सुचारू की। इस दौरान किसी प्रकार की हानी की सूचना नहीं है। जिला प्रशासन ने आमजन से जर्जर भवनों से दूर रहने की अपील की है।

दूसरी ओर आवश्यक सेवाओं में शुमार आकाशवाणी के कोटपूतली केंद्र के रेडियो प्रोग्राम बुधवार को नगर परिषद के ड्रेनेज सिस्टम ने बाधित कर दिए। अव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम के चलते बरसात का पानी सडक व नाले से होते हुए आकाशवाणी कार्यालय व परिसर में पहुंच गया। देखते ही देखते पूरा कार्यालय व परिसर जलमग्न हो गया। इस दौरान भवन में लगे ट्रांसमीटर व अन्य मशीनों तक पानी पहुंचाने की नौबत आ गई। स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रभाव से जिला कार्यालय कोटपूतली के कंट्रोल रूम पर सूचित किया गया। जहां से अविलंब सहायता भेजने का आश्वासन दिया गया। लेकिन करीब 2 घंटे तक भी किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, ना ही किसी ने संपर्क किया। जिसके चलते आकाशवाणी के समस्त स्टाफ ने अपने स्तर पर पानी को बाहर निकलने का प्रयास किया ताकि मशीनों को बचाया जा सके व रेडियो कार्यक्रम सुचारु चल सके। आकाशवाणी केंद्र प्रभारी राजेंद्र सिंह तंवर, कार्यक्रम प्रभारी दिनेश पटवा, कार्यक्रम प्रभारी (तकनीक) मनोहर मीणा, अजीत सिंह कार्यक्रम उद्घोषक विकास वर्मा, कुसुम मीणा, अमरजीत सिंह, पूजा सिंह, रिंकू , दीपक वाल्मीकि व वीरेंद्र सिंह सहित अन्य स्टाफ ने स्थानीय स्तर पर राहत ना मिलने पर नाराजगी जताई है, साथ ही प्रकरण से आकाशवाणी केंद्र जयपुर व दिल्ली को अवगत कराने की बात कही है।

इसके अलावा बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी ने आमजन को सुरक्षात्मक दृष्टि से एडवाइजरी दी है। उन्होंने आमजन से नदी, नालों, एनीकट तथा पुलिया से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ओवरफ्लो रपट को पार न करें तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा जारी नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 01421-299036 पर तुरंत सूचित करें ताकि समय पर राहत पहुंचाई जा सके। बारिश के मौसम में आकाशीय गर्जन और बिजली गिरने की घटना होना जानलेवा साबित हो सकता है। बारिश के दिनों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेघगर्जन के समय यदि घर के बाहर हैं, तो जल्द से जल्द घर अथवा कहीं आश्रय स्थल पर रूक जाएं। टीन अथवा धातु की बनी छतों वाले स्थान से दूर रहें। किसी भी पेड के नीचे ना खड़े हों। किसी भीड़भाड वाले स्थान से दूरी बनाएं। तरणताल, नदी नालों में बारिश के मौसम में अचानक पानी आने की सम्भावना रहती है उनसे दूरी बनाए।

जलमग्न हुई सड़कों व कार्यालयों की दुरूस्ती करती नगरपरिषद् की टीम।

- **जिला प्रशासन और नगर परिषद टीम एक्टिव मोड में**
- **एसडीएम, डीएसपी और नगर परिषद आयुक्त फील्ड में, लगातार ले रहे व्यवस्थाओं का जायजा, तुरंत हो रही कार्यवाही**

विवाद्यको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम -2, जयपुर महानगर प्रथम

संतोष कुमार शर्मा बनाम डॉ. विजेन्द्र गौतम व अन्य

वाद बाबत घोषणा, आज्ञात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या 141सन् 2025

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या

बनाम

1. डॉ. विजेन्द्र गौतम निर्वाचन अधिकारी महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, निवासी- ए-3511 जी, गणेश वाटिका-1, कल्लावाला, वाटिका रोड़, जयपुर एवं निर्वाचन कार्यालय— एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 2. रमाकांत गौतम एडवोकेट सहायक निर्वाचन अधिकारी, महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, पता- 14, मधु विहार कॉलोनी, चोखी ढाणी, गोनेर मोड के पीछे, जयपुर, राजस्थान एवं निर्वाचन कार्यालय- एफ-2, (73, 74, 75) प्रथमतल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 3. पवन शर्मा सहायक निर्वाचन अधिकारी महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, निवासी- 102/34, प्रताप नगर, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर एवं निर्वाचन कार्यालय- एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 4. भानू प्रकाश गौतम अध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 5.ताराचन्द शास्त्री उपाध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 6. विजय शंकर गौतम कोषाध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 7.विजयेन्द्र गौतम सहायक मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 8. एडवोकेट नवनीत कमल शर्मा सहायक मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 9. मनीष शर्मा प्रचार मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 10. महावीर प्रसाद गौतम प्रचार मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 11. चौथमल कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 12.चंचल कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 13. अनिल जोशी कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 14.नगेन्द्र गौतम कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 15. मुरारी लाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति,16. चेतन प्रकाश व्यास, कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति,

17. विनोद कुमार गौतम कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, समस्त पता- पंजीकृत कार्यालय 986, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर, राजस्थान एवं एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर वादी ने आपके विरुद्ध ......के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 01/8/25 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात में तारीख (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिए गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जा में व शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 30/7/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुहर

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम

संतोष कुमार शर्मा बनाम डॉ. विजेन्द्र गौतम व अन्य

वाद बाबत घोषणा, आज्ञात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वाद संख्या 81 सन् 2025

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या

1. डॉ. विजेन्द्र गौतम निर्वाचन अधिकारी महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, निवासी- ए-3511 जी, गणेश वाटिका-1, कल्लावाला, वाटिका रोड़, जयपुर एवं निर्वाचन कार्यालय— एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 2. रमाकांत गौतम एडवोकेट सहायक निर्वाचन अधिकारी, महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, पता- 14, मधु विहार कॉलोनी, चोखी ढाणी, गोनेर मोड के पीछे, जयपुर, राजस्थान एवं निर्वाचन कार्यालय- एफ-2, (73, 74, 75) प्रथमतल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 3. पवन शर्मा सहायक निर्वाचन अधिकारी महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, निवासी- 102/34, प्रताप नगर, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर एवं निर्वाचन कार्यालय- एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर। 4. भानू प्रकाश गौतम अध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 5.ताराचन्द शास्त्री उपाध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 6. विजय शंकर गौतम कोषाध्यक्ष महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 7.विजयेन्द्र गौतम सहायक मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 8. एडवोकेट नवनीत कमल शर्मा सहायक मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 9. मनीष शर्मा प्रचार मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 10. महावीर प्रसाद गौतम प्रचार मंत्री महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 11. चौथमल कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 12.चंचल कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 13. अनिल जोशी कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 14.नगेन्द्र गौतम कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, 15. मुरारी लाल शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति,16. चेतन प्रकाश व्यास, कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति,

17. विनोद कुमार गौतम कार्यकारिणी सदस्य महर्षि गौतम समाज सेवा समिति, समस्त पता- पंजीकृत कार्यालय 986, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर, राजस्थान एवं एफ-2, (73, 74, 75) प्रथम तल, रघुनाथपुरी प्रथम, श्योपुर रोड़, गोशाला के सामने, टोंक रोड़, जयपुर उक्त......ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.......

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 01/8/25को 10 AM पूर्वाह्न में स्वंय या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज दिनांक 30/07/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 जयपुर महानगर प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 80/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रदीप कुमार आर्य पुत्र श्री छोटू सिंह आर्य निवासी 01 आर्य भवन अशोक सर्किल, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ समिति, अलवर, स्वामी दयानन्द मार्ग मन्नी का बड, अलवर-301001 के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 29.09.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 79/2025

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री प्रदीप कुमार आर्य पुत्र श्री छोटू सिंह आर्य निवासी 01 आर्य भवन अशोक सर्किल, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत आर्य कन्या विद्यालय समिति अलवर, स्वामी दयानन्द मार्ग कम्पनी बाग के सामने, अलवर-301001 के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 29.09.2025

मोहर अदालत

सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक : 5876 **जाहिर आम सूचना** दिनांक : 29.07.2025

राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या **29/D-181 (EWS)**, (एरिया **51.06** वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन **श्री तेज कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार जैन** को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 652 दिनांक **19.05.2006** को जारी किया गया। **श्री तेज कुमार** के पक्ष में उक्त फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक **14.06.2010** को उप पंजीयक - सांगानेर - प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। **श्री तेज कुमार** द्वारा **श्री नानग राम अग्रवाल पुत्र श्री प्रभाती लाल अग्रवाल** को दिनांक **16.06.2010** को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। **श्री नानग राम अग्रवाल** द्वारा मुख्त्यारनामा आम की हैसियत से उक्त फ्लैट को दिनांक **24.01.2011** के द्वारा **श्री गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व. श्री उम्मेद सिंह बिष्ट** को विक्रय कर उप पंजीयक - सांगानेर - प्रथम जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / क्रेती **श्री गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व. श्री उम्मेद सिंह बिष्ट** द्वारा आवासन मण्डल में उक्त फ्लैट में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं। **श्री गोपाल सिंह बिष्ट पुत्र स्व. श्री उम्मेद सिंह बिष्ट** का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली

पता-श्याम मंदिर के पिछे, संस्कार ITI के पास-303108

Email-ame.kotputli@rajasthan.gov.in

क्रमांक-सखअ/कोट/ Minor-B/28/2007/2025

सार्वजनिक सूचना दिनांक-जुलाई 2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में जिला कोटपूतली बहरोड की तहसील विराटनगर निकट ग्राम हरिकिशनपुरा में खनन पट्टा संख्या 28/2007 वास्ते खनिज क्वार्टजाईट सिलिकासैण्ड क्षेत्रफल 1.7750 हैक्टेयर दिनांक 11.01.2023 से 50 वर्ष तक के लिए श्री उमराव लाल यादव पुत्र श्री रामरूख यादव निवासी ग्राम/पोस्ट प्रागपुरा ढाणी माधोवाली तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड के पक्ष में प्रभावशील हैं। दिनांक 19.06.2025 को खनन पट्टाधारी श्री उमराव लाल यादव की मृत्यु हो जाने के कारण राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 76 के अन्तर्गत उनकी पत्नी विमला देवी पत्नि स्व. श्री उमराव लाल यादव निवासी वार्ड नम्बर 21 ढाणी माधोवाली, प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड के पक्ष में उक्त खनन पट्टे मे नामान्तरण किया जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में अगर किसी को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से15 दिवस में कार्यालय में मय दस्तावेज आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा विमला देवी पत्नी स्व. श्री उमराव लाल यादव निवासी वार्ड नम्बर 21 ढाणी माधोवाली प्रागपुरा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड के नामान्तरण की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। सो सूचित रहे।

(अमीचन्द दुहारिया) सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली

आम सूचना मैं हरिनारायण पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कुमावत उम्र 75 वर्ष निवासी कुमावतो की ढाणी, नारायण विहार कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर का रहने वाला हूँ तथा मैं हार्ट पेशेन्ट हूँ। मेरे पुत्र मुकेश कुमावत जो कि शराब एवं नेशे का आदी है तथा आये दिन मेरे साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करता है तथा नित नये दिन गलत लोगों को घर में लाता है व घर में लड़ाई-झगड़ा करता है, जिससे मेरे परिवार के अन्य सदस्य भी दुखी रहते हैं। मेरे परिवार के अन्य सदस्यों को भी गाली-गलौज एवं मारपीट करता रहता है तथा मुझे मारने की धमकी देता है। इसलिए मैं मेरे पुत्र मुकेश कुमावत को अपनी सभी चल एवं अचल सम्पत्ति से दिनांक 30.07.2025 से बेदखल करता हूँ तथा मैं एवं मेरे परिवार का कोई भी अब इससे संबंध नहीं है एवं कोई भी व्यक्ति यदि मेरे पुत्र मुकेश कुमावत से लेन-देन करता है ता इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

(प्रार्थी) हरिनारायण पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कुमावत

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य अब्दुल सलाम पुत्र चाँद खां, निवासी 2251, बड़ापार्क चौकड़ी तोपखाना हुजूरी, घाटगेट, जयपुर के पुत्र मोहम्मद रिजवान उम्र 31 वर्ष मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है, तथा आये दिन मेरे अभिभाष्य और परिवार से लड़ाई झगड़ा करता है अभद्र व्यवहार करता है, हैरान परेशान करता है इसलिए उसे अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ तथा भविष्य मे यदि कोई व्यक्ति, संस्था किसी प्रकार का संव्यवहार (लेनदेन) करता है तो उसके लिए वह स्वंय ही जिम्मेदार होगें। अतः सूचित रहें।

जयपुर (मोहम्मद अफजल) एडवोकेट

दिनांक-30.7.25 मो.नं.-9928520745

आम सूचना सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि डाबर मोहल्ला-शाहपुरा में 880 वर्गगज में मैं मुकेश कुमार स्व. रमेश व इन्द्रमोहन पुत्र स्व. कालूराम माली परिवारजन मालिकाना हैसियत से 80 वर्ष काबिज़ हैं।

उपरोक्त प्लॉट के संबंध में राम गोपाल वह अन्य ने विभाजन का दावा किया था जिसकी अपील नंबर 245/2011 माननीय हाईकोर्ट जयपुर में विचाराधीन है तथा यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गए है अतः उपरोक्त प्लॉट के संबंध में अपील के गुणावगुण पर विस्तृत निस्तारण से पहले आम खास सरकारी अर्ध-सरकारी विभाग किसी भी तरह का खरीद बेचान अमान्य होगा।

सीताराम खींची, एडवोकेट, मो.-9414396207

कार्यालय ग्राम पंचायत डिडायच, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :-2025-26/274 दिनांक :- 28/07/25

ई-निविदा सूचना संख्या-03/2025-26

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा के अधीन ग्राम पंचायत डिडायच में पन्द्रहवा वित्त आयोग पंचायत समिति मद योजनान्तर्गत निम्न कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरे (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) निविदा से संबंधित नियम, शर्ते एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिडायच — NIB No. PKI2526A0008, UBN No. PKI2526GSRC00008, PKI2526GSRC00009, PKI2526GSRC00010, PKI2526GSRC00011, PKI2526GSRC00012 — प्रशासक, ग्राम पंचायत डिडायच

कार्यालय ग्राम पंचायत रवांजना, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :-51 दिनांक :- 28/07/25

ई-निविदा सूचना संख्या-01/2025-26

वर्ष 2025-26 हेतु महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं में कार्यों के लिये निर्माण सामग्री क्रय हेतु, उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के तहत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में पंजीकृत विक्रेताओं / निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.3.2026 तक के लिये निम्नानुसार निविदा दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धित से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की बेवसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रवांजना — NIB No. ZSM2526A0491, UBN No. ZSM2526SSOB00557 — प्रशासक, ग्राम पंचायत रवांजना

कार्यालय ग्राम पंचायत खिजूरी, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :-45 दिनांक :- 28/07/25

ई-निविदा सूचना संख्या-01/2025-26

वर्ष 2025--26 हेतु महात्मा गांधी नरेगा व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न योजनाओं में कार्यों के लिये निर्माण सामग्री क्रय हेतु, उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के तहत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में पंजीकृत विक्रेताओं / निविदादाताओं से वार्षिक दर दिनांक 31.3.2026 तक के लिये निम्नानुसार निविदा दरें ई-प्रोक्योरमेन्ट पद्धित से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की बेवसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खिजूरी — NIB No. ZSM2526A0492, UBN No. ZSM2526SSOB0055 — प्रशासक, ग्राम पंचायत खिजूरी

कार्यालय ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :-2025-26/आ.क./52 दिनांक :- 21/07/25

ई-निविदा सूचना संख्या-03/2025-26

पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा के अधीन ग्राम पंचायत आदलवाडाकलां में स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्य कचरा संग्रहण केन्द्र ग्राम पंचायत आदलयाडाकला, एवं राज्य वित्त आयोग में कंक्रीट रोड निर्माण कार्य रामकन्या के मकान से बडडा की ओर आदलवाडा कलां एवं सीसी रोड निर्माण कार्य रा030 प्रा0वि0ऐकडा के पास से मीना बस्ती की ओर हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धित से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की बेवसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां — NIB No. ZSM2526A0488, UBN No. ZSM2526SSOB0554 — प्रशासक, ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां

कार्यालय ग्राम पंचायत कुश्तला, पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक :-2025-26/66 दिनांक :- 15/07/25

ई-निविदा सूचना संख्या-03/2025-26

पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा के अधीन ग्राम पंचायत कुश्तला में स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं में स्वीकृत निर्माण कार्य कचरा संग्रहण केन्द्र ग्राम पंचायत कुश्तला हेतु निर्धारित प्रपत्र में निविदा दरें ई-प्रीक्योरमेन्ट पद्धित से द्विस्तरीय (तकनिकी एवं वित्तीय अलग अलग) वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित नियम, शर्तें एवं सम्बन्धी दस्तावेज लोक उपापन की बेवसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखे एवं डाउनलोड किये जा सकते है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुश्तला — NIB No. ZSM2526A0489, UBN No. ZSM2526SSOB0555 — प्रशासक, ग्राम पंचायत कुश्तला

कार्यालय ग्राम पंचायत आकोडिया पं.स. कोटखावदा (जयपुर)

क्रमांक/ग्रा.पं./2025-26/ई-निविदा/41 दिनांक-29.07.2025

ई-निविदा सूचना 01/2025-26

पंचायत समिति कोटखावदा के ग्राम पंचायत आकोडिया में MLA-LAD क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 10.45 लाख का 01 कार्य स्वीकृत है। कार्यो को सम्पादित कराने हेतु पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 181 (2) के अन्तर्गत तथा राजस्थान लोक उपापन पार्दर्शिता नियम 2013 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों में पंजीकृत सक्षम श्रेणी के संवेदकों से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदायें निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी कार्यालय समय में एवं राजस्थान उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदाएं ऑनलाईन प्राप्त करने एवं अपलोड करने की दिनांक 29.07.2025 से 08.08.2025 को प्रात 11.00 बजे तक रहेगी।

NIB NO. KHW2526A0011, UBN NO.- KHW2526WSOB00020

सरपंच, ग्राम पंचायत आकोडिया — ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत आकोडिया

कार्यालय नगर परिषद कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

क्रमांक- न.प.कोट/भूमि/2025/1941 दिनांक-30.07.2025

प्रारूप-10 (नियम 6(7)

लोक सूचना

आवेदनकर्ता श्री बसंता राम महेश पुत्रान श्री रामकुमार श्री योगेश पुत्र श्री कैलाश रोहिताश पुत्र श्री कैलाश व श्री हवासिंह पुत्र श्री रमेश समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान खेडकी मुक्कड कोटपूतली इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषित प्रयोजन (आवासीय) उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात् -

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	क्षेत्र	प्रयोजनार्थ
कोटपूतली-बहरोड, कोटपूतली	खेडकी मुक्कड (कोटपूतली)	1128/125	0.5400 है.	आवासीय

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन ..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर परिषद कोटपूतली

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बगरू, जयपुर

क्रमांकः—165—171 दिनांकः— 29.07.2025

निविदा सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति बगरू, जयपुर में निम्नांकित सेवाओं / कार्यो के ठेके हेतु सुस्थापित, अनुभवी एवं पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मो से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है:— NIB-DAM2526A0320

विवरण	सुरक्षा व्यवस्था कार्य हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाना
निविदा सूचना संख्या	05 / 2025—26
अनुमानित लागत (राशि रूपये में)	रू. 30.00 लाख
निविदा शुल्क (राशि रूपये में)	रू. 1000.00
निविदा प्रतिभूति राशि (राशि रूपये में)	रू. 0.60 लाख
आर. आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस M.D.R.I.S.L. जयपुर के नाम देय (डी.डी. अथवा बैंकर्स चैक)	रू. 2000.00
ऑनलाईन निविदा फार्म डाउनलोड करने की तिथि	प्रकाशन तिथि में
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	11.08.2025 12.00 PM तक
कार्यालय में प्रोसेसिंग फीस, निविदा शुल्क व धरोहर राशि डी.डी. / बैकर्स चैक एवं अन्य दस्तावेज जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	11.08.2025 4.00 PM तक
ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	12.08.2024 12.00 PM
निविदा की अवधि	01 वर्ष
UBN No.	

निविदा शुल्क, निविदा सिक्योरिटी एवं RISL प्रासेसिंग फीस का मूल डी डी / बैंकर्स चैक निर्धारित दिनांक एवं समय तक कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बगरू, जयपुर में जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा इनकी स्कैन प्रति भी निविदा के साथ अपलोड का प्रस्तुत करनी होगी। ऑफ—लाईन प्रपत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगें। मूल डी.डी / बैंकर्स चैक जमा नहीं कराने पर निविदा नहीं खोली जावेगी। उक्त कार्यो हेतु तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदायें खोली जायेगी।

निविदा से संबंधित तकनीकी व वित्तीय बोली प्रपत्र एवं विस्तृत वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in, http://www.sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.agriculture.rajasthan.gov.in पर अवलोकन व डाउनलोड किये जा सकते है।

राज.संवाद / सी / 25 / 7193 सचिव